बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड

An ISO 9001:2008, 14001:2004&OHSAS 18001:2007 Certified Company

(बिहार सरकार का एक उपक्रम)

वेबसाइट: www.bsbccl.bihar.gov.in

BSBCCL

BIHAR STATE BUILDING CONSTRUCTION CORPORATION LTD.

An ISO 9001:2008, 14001:2004&OHSAS 18001:2007 Certified Company

(A Government of Bihar Undertaking)

Website: www. www.bsbccl.bihar.gov.in

Build Green, Live Green!

CIN:U45200BR2008SGC013513

पत्रांकः–बी0एस0बी0सी0सी0एल0–304/2017 (प्रशासन) दिनांक–

कार्यालय आदेश सं0–29/2022

बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, पटना के सभी परियोजना कार्यान्वयन इकाईयों में कार्यालय कार्य संचिका के माध्यम से करने हेतु पूर्व में निदेशित किया गया है। सामान्य कार्यालय पद्धति के अनुसार भी सरकारी कार्यालयों का कार्य संचिका के माध्यम से ही निस्पादित किया जाना उचित होता है।

2. इस क्रम में निगम के सभी परियोजना कार्यान्वयन इकाईयों को पुनः निदेशित किया जाता है कि कार्यालय का सभी कार्य यथा किसी योजना का प्राक्कलन भेजना/BOQ निगम मुख्यालय को भेजना/संवेदक से एकरारनामा करना/विपत्र का भुगतान/समय वृद्धि/विचलन/Revised TS/वेतन भुगतान आदि कार्य हेतु पी0आई0यू0 के संबंधित कर्मी द्वारा संचिका के माध्यम से प्रस्ताव गठित कर उचित माध्यम द्वारा संबंधित उप महाप्रबंधक के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। तत्पश्चात् उप महाप्रबंधक द्वारा नियमानुसार पाए जाने पर उसे हस्ताक्षरित किया जाए।

3. वर्णित तथ्यों के आलोक में सभी क्षेत्रीय उप महाप्रबंधक को निदेशित किया जाता है, कि पी0आई0यू0 द्वारा किसी भी प्रकार का पत्र/विपत्र आदि वर्णित अभिलेखो पर हस्ताक्षर से पूर्व यह सुनिश्चित हो लेंगे कि उसका उल्लेख संचिका पर किया गया हो। साथ ही सभी क्षेत्रीय उप महाप्रबंधक संचिकाओं के जॉच के क्रम में यह सुनिश्चित हो लेंगे कि उपस्थापित प्रस्ताव/प्रतिवेदनों से संबंधित सभी सुसंगत अभिलेख, परिपत्रों, नियमो इत्यादि की प्रति को संचिका के पत्राचार भाग में रख दी गई है ताकि उक्त योजना/कार्यो से संबंधित भविष्य में किसी भी प्रकार के मामलों में कमी/त्रुटि के प्रकटीकरण होने पर क्षेत्रीय या मुख्यालय स्तर के पदाधिकारियों को निस्तारण करने में कठिनाईयों का सामना न करना पड़े। इस कार्यालय पद्धति के अनुरूप कार्य संचालित हो सके, इसके पर्यवेक्षण का नैतिक दायित्व संबंधित उप महाप्रबंधक की होगी।

4. उप महाप्रबंधक यह भी सुनिश्चित करेंगे कि यदि किसी अभिलेख पर पी0आई0यू0 के अन्य कर्मी/पदाधिकारी का हस्ताक्षर अनिवार्य होगा तो वहॉ उनका भी हस्ताक्षर निश्चित रूप से रहे।

5. उप महाप्रबंधक यह भी सुनिश्चित करेंगे कि प्रत्येक संचिका का निर्धारित संख्या उस संचिका पर स्पष्ट रूप से अंकित रहे तथा संचिका खोलने से संबंधित पंजी भी हमेशा अद्यतन रहे।

6. निगम मुख्यालय यह मानता है कि सामान्य कार्य पद्धति के अनुसार सभी परियोजना कार्यान्वयन इकाईयों द्वारा वर्णित कार्य प्रणाली का अनुपालन किया जाता होगा। निगम मुख्यालय द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि माह अक्टुबर 2022 के प्रथम सप्ताह से सभी पी0आई0यू0 का औचक निरीक्षण कराकर वर्णित कार्य पद्धति का अनुपालन से संबंधित प्रतिवेदन प्राप्त किया जाएगा। यदि किसी पी0आई0यू0 द्वारा माह सितम्बर 2022 में सम्पादित कार्य संचिका के माध्यम से नहीं किया गया होगा तो संबंधित उप महाप्रबंधक पर नियमानुकूल कार्रवाई की जाएगी।

7. वैसे पी0आई0यू0 जहॉ वर्णित कार्य पद्धति का शत–प्रतिशत अनुपालन नही हो रहा होगा वहॉ तत्काल प्रभाव से इसका अनुपालन कराने की जिम्मेवारी संबंधित उप महाप्रबंधक की होगी।

8. यह प्रावधान सभी परियोजना कार्यान्वयन इकाईयों के साथ–साथ निगम मुख्यालय कार्यालय के सभी शाखाओं पर भी समान रूप से लागू होगा।

ह0/–

(प्रबंध निदेशक)

ज्ञापांकः– 2768 पटना/दिनांकः– 27/8/22

प्रतिलिपिः–मुख्य महाप्रबंधक/सभी महाप्रबंधक/सभी क्षेत्रीय उप महाप्रबंधक/निगम मुख्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालयों के सभी पदाधिकारी व कर्मचारीगण (तकनीकी सहित)/सभी लेखापाल–सह–रोकड़पाल, सहायक, कार्यालय सहायक–सह–कम्प्यूटर ऑपरेटर, आशुलिपिक, डाटा इन्ट्री ऑपरेटर एवं आई0टी0 मैनेजर बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(प्रबंध निदेशक)